संख्या:-48 /2022/1697-ई-2/तेरह-2022-131/17-1659257

प्रेषक,

**राजवीर सिंह**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2022

**विषय: मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लि., डिस्टलरी यूनिट हरियावां, जिला हरदोई की सी-हैवी शीरे पर स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख लीटर वार्षिक के अंतर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 40.28 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर 85 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।**

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-2200/दो-प्रा.डी.-189/ हरियावां, दिनांक 16-09-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-09-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1687ई-2/तेरह-2022-131/17-1659257, दिनांक 30-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 16-09-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लि., डिस्टलरी यूनिट हरियावां, जिला हरदोई की सी-हैवी शीरे पर स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख लीटर वार्षिक के अंतर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 40.28 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर 85 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(i) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश (आसवनी की स्थापना)(पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) आसवनी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन कराया जायेगा।

(iii) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(राजवीर सिंह)**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in